दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 05 फरवरी, 2024

<u>वसियती वाद सं. 36/2017</u>

श्री विशाल बंगा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री प्राची जौहरी, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री अवनि सिंह, प्र.-1 की अधिवक्ता।
श्री कृष्णा मोहन के. मेनन और श्री गौतम धमीजा, प्र.-2 के अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्ण

<u>निर्णय</u> *(मौखिक)*

<u>अं.आ.18691/2023</u> *<u>(प्र.-2 द्वारा सि.प्र.सं., 1908 की धारा 151 के अंतर्गत)</u>*

1. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक/प्रत्यर्थी सं. 2 भारतीय स्टेट बैंक, एनआरआई शाखा, मुंबई की मूल्यांकन रिपोर्ट को अभिलेख पर लेने और प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में प्रशासन पत्र/प्रोबेट जारी करने के लिए निर्देश चाहता है।

2. आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान वसियती वाद का निपटान दिनांक 06.08.2019 के आदेश के माध्यम

से किया गया था। इसके बाद, दिनांक 04.08.2023 के आदेश के संदर्भ में, विभिन्न अचल संपत्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट अभिलेख पर प्राप्त की गई और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रशासन/प्रोबेट पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया।

3. मूल्यांकन रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक, एनआरआई शाखा, मुंबई से प्राप्त हुई है। स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा के खाते से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक, एनआरआई शाखा, मुंबई द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट का विवरण अभिलेख पर लिया जाता है। दिनांक 21.05.2015 दिनांकित वसीयत के अनुसार इस खाते में आय आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में हस्तांतरित की जाए और उसी के संबंध में प्रशासन पत्र प्रदान किया जाए।

4. इसलिए, प्रार्थना की जाती है कि मूल्यांकन रिपोर्ट को अभिलेख में लेने और आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में प्रशासन/प्रोबेट पत्र जारी करने के लिए उचित निर्देश दिए जाएं।

5. **वर्तमान आवेदन का गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से** अपने विस्तृत उत्तर के माध्यम से यह प्रस्तुत करते हुए **विरोध किया गया है** कि गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा के बेटे हैं, जिनकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दिनांक 18.04.2016 को हुई थी।

6. गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता और आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा दिनांकित 21.05.2015 के तहत लाभार्थी हैं।

7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 के तहत प्रोबेट याचिका गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई थी। आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 21.05.2015 दिनांकित वसीयत को अंतिम वसीयतनामे के रूप में स्वीकार किया था और गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता और आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 को संयुक्त रूप से प्रोबेट देने का अनुरोध किया था।

8. गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता और आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में प्रोबेट प्रदान किया गया है, जो दिनांक 06.08.2019 के आदेश के अनुसार उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान के अधीन है।

9. यह दावा किया जाता है कि आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 अब गुप्त रूप से वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो वसीयत दिनांकित 21.05.2015 के दायरे से बाहर है।

10. यह दावा किया जाता है कि वसीयत दिनांकित 21.05.2015 के अनुसार, एन.आर.ई. सावधि जमा की वसीयत सशर्त थी, बशर्ते कि जमा को दस साल की अवधि के लिए बनाए रखा जाए और बैंक गारंटी दस साल की अवधि के लिए जारी रहे।

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 की जानकारी में है, लेकिन उन्होंने इस बात को दबाया है कि एन.आर.ई. सावधि जमा के खिलाफ बनाए गए बैंक गारंटी को जून, 2016 में सीए इंडोसुएज़ (स्विट्जरलैंड), सिंगापुर शाखा (जिसे पहले क्रेडिट एग्रीकोल (सुइस) एस.ए., सिंगापुर शाखा के रूप में जाना जाता था) द्वारा लागू किया गया है। चूंकि, बैंक गारंटी को दस वर्षों के भीतर लागू किया गया है, इसलिए आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में एन.आर.ई. सावधि जमा के वसीयत के लिए अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए एन.आर.ई. सावधि जमा, वसीयत दिनांकित 21.05.2015 के संदर्भ में वसीयत के रूप में नहीं, बल्कि निर्वसीयत उत्तराधिकार के कानून के अनुसार हस्तांतरित होगी और गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता और आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 दोनों ही खाते में अब पड़ी राशि के 50 प्रतिशत के हकदार हैं।

12. इसलिए, प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाए और वसीयत दिनांकि 21.05.2015 और उत्तराधिकार के कानून के अनुसार बैंक की संपत्तियों/आय के वितरण के लिए अनुमति दी जाए।

13. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

14. यह विवाद में नहीं है कि स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा ने याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा दिनांकित 21.05.2015 को निष्पादित किया था।

15. आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से प्रोबेट/प्रशासन पत्र के अनुदान पर कोई आपत्ति नहीं दी गई थी और तदनुसार, वर्तमान वसियती याचिका को दिनांक 06.08.2019 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

16. अब विवाद को समझने के लिए, वसीयत के दिनांकित 21.05.2015 के अपेक्षित खंड को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जो निम्नानुसार है:-

> *"जहां तक बंगा हरबंस सिंह के नाम पर एस.बी.आई. एन.आर.आई. शाखा मुंबई में रखी गई एन.आर.ई. सावधि जमाओं का संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित संपत्तियों के विवरण में चल संपत्ति शीर्षक के तहत क्रम संख्या 5 में उल्लेख किया गया है, इन जमा को कम से कम दस (10) वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखा जाना चाहिए और इन जमा के खिलाफ दी गई बैंक गारंटी कम से कम दस 10 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखी जानी चाहिए, बशर्ते कि दोनों बैंक, बैंक गारंटी सुविधा प्रदान करना और उसका विस्तार करना जारी रखें।*
>
> ***<u>उपरोक्त शर्तों को पूरा करने/पालन करने के आधार पर,</u>*** *उक्त एन.आर.ई. सावधि जमा और एन.आर.ई. खाता श्री बंगा विकास (जिनके पास पासपोर्ट संख्या YA4408600 है) को दिया जाना चाहिए, जो 194, 931/1 चारोनाकोम रोड, सोई 15/ ए.क्लोंगथॉनसाई, क्लॉगसन, बैंकॉक 10600 थाईलैंड का निवासी है।"*
>
> *(जोर दिया गया)*

17. यह चुनौती के दायरे में नहीं है कि वर्तमान याचिका के पक्षकारों के पिता स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा की ओर से कुछ ऋण लिए गए थे और वसीयत में

उक्त ऋणों को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी। यह प्रावधान किया गया था कि इन बैंक गारंटी को कम से कम दस वर्षों के लिए क्रियाशील रखा जाए और जो कुछ भी बचा है और उपरोक्त का पालन करते हुए, एन.आर.ई. सावधि जमा और एन.आर.आई. खाते को आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिया जाए।

18. इसमें कोई चुनौती नहीं है कि जिन ऋणों के लिए बैंक गारंटी दी गई थी, उनका भुगतान जुलाई, 2016 में किया गया और स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा की देनदारियों को समाप्त किए जाने के मद्देनजर बैंक गारंटी को भुनाया गया।

19. बैंक गारंटी को क्रियाशील रखने का पूरा उद्देश्य विशुद्ध रूप से किसी भी बकाया देनदारियों को पूरा करना था। दस साल की शर्त स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा की देनदारियों के पूरा होने में कम से कम दस साल लगने की आशंका में लगाई गई थी। वसीयत के उद्देश्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि बैंक गारंटी को केवल स्वर्गीय श्री हरबंस सिंह बंगा की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए क्रियाशील रखा गया था।

20. चूंकि वर्ष 2016 में देनदारियों का भुगतान हो गया है, इसलिए बैंक गारंटी लागू की गई थी। जब उन्हें क्रियाशील रखने का पूरा उद्देश्य और हेतु पहले ही पूरा हो चुका था, तब बैंक खाते को क्रियाशील रखने का कोई कारण नहीं था। दस साल की अवधि प्रत्यर्थी संख्या 2 को आय के हस्तांतरण की पूर्व शर्त नहीं थी परंतु यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए था कि स्वर्गीय श्री

हरबंस सिंह बंगा के बच्चों पर उनके जीवनकाल के दौरान की गई देनदारियों का बोझ न पड़े।

21. गैर-आवेदक/याचिकाकर्ता ने उसे विरासत में दी गई बारह अचल संपत्तियों की सीमा तक वसीयत दिनांकित 21.05.2015 के तहत लाभ प्राप्त किया है, जिसके लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आपत्ति नहीं जताई है, अब वह वसीयत दिनांकित 21.05.2015 के तहत आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिए गए लाभों को अस्वीकार करने के लिए तथ्यों में हेरफेर की कोशिश कर रहा है।

22. वसीयत दिनांकित 21.05.2015 में उपयोग की गई भाषा यह है कि *"ये जमा को कम से कम दस साल की अवधि के लिए बनाए रखा जाना चाहिए बशर्ते कि दोनों बैंक, बैंक गारंटी सुविधा प्रदान करना और उसका विस्तार करना जारी रखें।"*

23. दस साल की अवधि दोनों बैंकों द्वारा बैंक गारंटी सुविधा देना और उसका विस्तार करना जारी रखने के अधीन थी। एक बार जब ऋण का भुगतान हो जाता है और बैंक गारंटी रखने की आवश्यकता दस साल की समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती है, तो बैंक खाते को कम से कम दस साल तक जारी रखने की शर्त को पूरा न करने का कोई सवाल ही नहीं है।

24. प्रत्यर्थी संख्या 2 भारतीय स्टेट बैंक, एन.आर.आई. शाखा, मुंबई के संबंध में अपने पक्ष में की गई वसीयत का हकदार है।

25. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन को उपयुक्त न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए आवेदक/प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है।

26. बैंक खातों का मूल्यांकन तदनुसार किया जाना चाहिए और 06.08.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से जारी किया गया प्रशासन पत्र/प्रोबेट प्रदान किया जाए।

अं.आ.15749/2023 *(याचिकाकर्ता द्वारा सि.प्र.सं., 1908 की धारा 151 के अंतर्गत)*

27. दिनांक 28.03.2024 को बहस हेतु सूचीबद्ध करें।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

5 फरवरी, 2024
एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*